

न्यायालय तहसीलदार राजगढ़ (अलवर)
नायब तहसीलदार
राजगढ़ (अलवर)

पत्रावली संख्या 55

2022

तारीख दायर 16.12.22 दिनांक निर्णय 8.9.22

उनवान

रिपोर्ट पटवारी ~~एतक) किरीजपुर~~ बनाम ~~शंभा घर पुत्र दौटे लाल~~
~~श्रीमति नि वावडी~~


आज पत्रावली मु. राजगढ़ पेश हुई। गैरसायल उच्च/अनु. जवाब पेश ~~किया/नहीं~~ करना चाहता है। सबूत गैरसायल बन्द की जानी है। अतिकमी का स. 208.2.07.9 का नया कब्जा होना साबित होता है। अतिकमी काबिल बेदखली है।


अतः आदेश है कि-

गैरसायल ~~शंभा घर~~ पुत्र ~~दौटे लाल~~
जाति ~~श्रीमति~~ निवासी ~~वावडी~~ को
आराजी खसरा नं. 77, 4 रकबा 0.45 है किस्म ~~परगाह~~ वाके ग्राम ~~वावडी~~
से बेदखल किया जाता है तथा शरह लगान 2.70 की 50 गुणा में मु.
13500 कायमी कराई जावे TRA व पटवारी की पालनार्थ लिखा लावें।

✓ फसल निलामी हेतु गिरदावर/कानूनगो को लिखा जावें।

रा. ले. स. 4 वर्ष 2022-23
के पृष्ठ संख्या 14 पर च्या. पं. 135/-
राशि कायम किये गये।


त. रा. लेखाकार


नायब तहसीलदार
राजगढ़ (अलवर)